

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2003/टीआर/10/पार्टIII

नई दिल्ली, दिनांक 12.03.2015


महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी भारतीय रेलें,  
(मानक सूची के अनुसार).

प्रबंध निदेशक,  
आईआरसीटीसी,  
16, पार्लियामेंट स्ट्रीट,  
बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,  
नई दिल्ली.

विषय: नई खानपान नीति 2010 - 188 डीमंड प्रतिनियुक्त पदधारियों (डीडीओ) को  
आईआरसीटीसी से रेलों में वापस भेजना।

बोर्ड के दिनांक 02.03.2015 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 13/2015) के पैरा 2 की  
दूसरी लाइन में प्रयुक्त "प्रतिनियुक्ति के आधार पर" अभिव्यक्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया  
जाता है। इस मामले पर पुनः विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि  
अभिव्यक्ति "प्रतिनियुक्ति के आधार पर" को हटाया गया माना जाए।

2. कृपया पावती दें।

  
(एम. के. मीणा)

उप निदेशक स्था. (एन)  
रेलवे बोर्ड